<u>दिनांक 12 जून 2018 को बराद सदन शैक्षणिक खंड, गंगटोक में आयोजित शैक्षणिक परिषद की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त</u>

दिनांक 12 जून 2018 को सुबह 11:00 बजे बराद सदन सम्मेलन कक्ष में शैक्षणिक परिषद की 23वीं बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. प्रो. जे.पी.तामांग, कुलपति (कार्यवाहक)	-	अध्यक्ष
2. डॉ. देवाशीष चौधुरी, परीक्षा नियंत्रक	-	सदस्य
3. प्रो. ए.एस.चंदेल, पुस्तकालयाध्यक्ष	-	सदस्य
4. प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	-	सदस्य
5. प्रो. वी.रमा देवी, डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ	-	सदस्य
6. डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
7. डॉ. एस. मणिवन्णन, डीन, छात्र कल्याण	-	सदस्य
8. प्रो. शांति एस शर्मा प्रोफेसर बॉटनी विभाग	-	सदस्य
9. प्रो. जेता सांकृत्यायन प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग	-	सदस्य
10. प्रो. संजय बंदोपाध्याय प्रोफेसर संगीत विभाग	-	सदस्य
11. प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान, अध्यक्ष, नेपाली विभाग	-	सदस्य
12. प्रो. अभिजीत दत्ता, प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग	-	सदस्य
13. प्रो. इमितिाज गुलाम अहमद, अध्यक्ष, विधि विभाग	-	सदस्य
14. प्रो. मोहम्मद यासीन अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग	-	सदस्य

15. डॉ. शिलाजीत गुहा, - सदस्य
अध्यक्ष, जनसंचार विभाग

16. डॉ. विजय कुमार थांगेल्लापाली - सदस्य
अध्यक्ष, इतिहास विभाग

17. डॉ. धनीराज छेत्री, - सदस्य
अध्यक्ष, बॉटनी विभाग

18. डॉ. एच.के.तिवारी, - सदस्य
अध्यक्ष, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग

19. डॉ. लक्ष्मण शर्मा, - सदस्य
अध्यक्ष, उद्यानिकी विभाग

20. डॉ. कोमल सिंघा - सदस्य
अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग

21. डॉ. संध्या थापा - सदस्य
अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग

22. डॉ. अमिताभ भट्टाचार्य, - सदस्य
अध्यक्ष, भौतिकी विभाग

23. डॉ. कृष्णेन्दु दत्ता - सदस्य
अध्यक्ष, संगीत विभाग

24. डॉ. मोहन प्रताप प्रधान, - सदस्य
अध्यक्ष, कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग

25. डॉ. टी.एम.एस.सुबर्न राजू, - सदस्य
अध्यक्ष, शिक्षा विभाग

26. डॉ. रोजी चामलिंग - सदस्य
अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग

27. डॉ. कृष्ण मुरारी - सदस्य
अध्यक्ष, प्रबंधन विभाग

28. डॉ. विमल खवास - सदस्य
अध्यक्ष, शांति एवं द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन विभाग

29. डॉ. बृजेश कुमार पांडे - सदस्य
अध्यक्ष, हिंदी विभाग

30. डॉ. के. बिरला सिंह - सदस्य
अध्यक्ष,प्राणिविज्ञान विभाग

31. डॉ. अनिल कुमार मिश्रा - सदस्य
अध्यक्ष, भूविज्ञान विभाग

32. डॉ. सत्यानंद पंडा - सदस्य
अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग

33. डॉ. सूचीस्मिता दत्ता - सदस्य

प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, बुर्तुक

34. डॉ. एन.आर. भूयां - सदस्य
प्राचार्य, हिमालयन फार्मेसी संस्थान,
माझीटार, ईस्ट सिक्किम

35. डॉ. कबिता लामा - सदस्य
सह प्रध्यापक, नेपाली विभाग

36. डॉ. ए.एन.शंकर - सदस्य
सह प्राध्यापक ,वाणिज्य विभाग

37. डॉ. नीलाद्रि बाग - सदस्य
सह प्राध्यापक ,उद्यानिकी विभाग

38. डॉ. स्वरूप रॉय - सदस्य
सह प्राध्यापक, कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग

39. डॉ. राजेश राज एस.एन. - सदस्य
सह प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग

40. श्री देवाशीष पाल - विशेष आमंत्रित
वित्त अधिकारी

41. श्री टी.के.कौल, - सचिव
कुलसचिव

निम्नलिखित सदस्य उनके पूर्वनिर्धारित कार्यों के लिए बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें और अनुपस्थिति की छुट्टी मांगी।

1. प्रो. नवल के. पासवान, डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
2. डॉ. के.आर.राममोहन, डीन, मानव विज्ञान विद्यापीठ

डॉ. एस.के.गुरुंग, संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) और श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद को सहयता देने के लिए उपस्थित थे।

अध्यक्ष ने इसके बाद सभी सदस्यों विशेषकर नए सदस्यों अर्थात् डॉ. सूचिस्मिता दत्ता, डॉ. एन.आर. भूयाँ, प्रो. मोहम्मद यासीन, डॉ. रोजी चामलिंग, डॉ. कृष्ण मुरारी, डॉ. विमल खवास, डॉ. बृजेश कुमार पांडे, डॉ. के. बिरला सिंह, डॉ. अनिल कुमार मिश्रा और डॉ. सत्यानन्द पंडा को पहली बार शैक्षणिक परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए स्वागत किया ।

अध्यक्ष ने प्रो. राजेश शरण, डॉ. गणेश जी तिवारी, डॉ. संध्या राई द्वारा शैक्षणिक परिषद की बैठकों में योगदान के लिए प्रशंसा की गयी, जिन्होने शैक्षणिक परिषद के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया और प्रो. नूतन कुमार एस. थिंगुजाम, जिन्हें लिएन पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्य मुक्त किया गया। इसके बाद एजेंडा विषयों पर निम्नानुसार चर्चा की गयी :

खंड -1

कार्यवृत्त की संपुष्टि और कार्रवाई रिपोर्ट

एसी 23.1.1: ***दिनांक 14 नवंबर 2017 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 22 वीं बैठक के कार्यवृत्त की संस्तुति***

दिनांक 14 नवंबर 2017 को आयोजित शैक्षणिक परिषद के 22वीं बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों को 24 नवंबर 2017 को ईमेल के माध्यम से परिचालित किए गए थे और 5 दिसंबर 2017 को हार्ड कॉपी भेजी गयी थी। परिषद के किसी भी सदस्य की ओर से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

परिषद ने 14 नवंबर 2017 को आयोजित शैक्षणिक परिषद के 22 बैठक के कार्यवृत्त को 24 नवंबर 2017 को ईमेल के माध्यम से और 5 दिसंबर 2017 को हार्ड कॉपी द्वारा परिचालित किए जाने के अनुसार पुष्टि की ।

एसी 23.1.2: ***दिनांक 14 नवंबर 2017 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 22वीं बैठक के कार्यवृत्त पर ली गयी कार्रवाई की रिपोर्ट***

सचिव ने परिषद की 22 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया।

खंड -2
सूचनात्मक विषय

एसी 23.2.1: विश्वविद्यालय में एम.फिल/पीएचडी पंजीकरण के लिए सिनोप्सिस

परिषद ने प्रत्येक विद्यापीठ में एम.फिल/पीएचडी पंजीकरण के लिए सिनोप्सिस को नोट किया।

खंड -3
अनुसमर्थित विषय

शून्य

खंड -4
विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

क. परीक्षकों, आदि के पैनल

एसी 22.4.A1: बाह्य परीक्षकों का पैनल

परिषद ने संबंधित विद्यापीठ बोर्ड द्वारा अनुशंसित तालिका के अनुसार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परीक्षकों के पैनल को मंजूरी दी:

क्र.सं.	विद्यापीठों का नाम	विभाग का नाम	आमंत्रित किए जानेवाले बाह्य परीक्षक
1)	भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	चीनी	एमए शोध निबंध
		हिंदी	
		नेपाली	
2)	जीव विज्ञान विद्यापीठ	बॉटनी	एमएससी प्रायोगिक

		प्राणिविज्ञान	
		सूक्ष्म जीव विज्ञान	
		उद्यानिकी	बीएससी/एमएससी प्रायोगिक
3)	व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ	प्रबंधन	पीएचडी शोध प्रबंध मूल्यांकन
		संगीत	बीपीए और एमपीए प्रायोगिक परीक्षा एवं शोध निबंध
		जनसंचार	एम.फिल मौखिक/शोध निबंध
4)	भौतिक विज्ञान विद्यापीठ	गणित	एमए शोध निबंध
		रासायनिकी	एमएससी प्रायोगिक और शोध निबंध
5)	सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	पीसीएस एंड एम	पीएचडी शोध प्रबंध और एमए शोध निबंध
		अर्थशास्त्र	पीएचडी शोध प्रबंध
		अंतर्राष्ट्रीय संबंध	पीएचडी शोध प्रबंध और एमए शोध निबंध
		समाजशास्त्र	एमए शोध निबंध
		इतिहास	
		राजनीति विज्ञान	
		विधि	एलएलएम शोध निबंध

ख. पाठ्य-विवरण से संबन्धित विषय/पाठ्यक्रम आदि

एसी 23.4.B1: बीए-एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए अंग्रेजी पाठ्यविवरण में संशोधन

भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ के डीन और अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष के अनुरोध पर इस मद को वापस ले लिया गया।

एसी 23.4.B2: गैर-हिंदी भाषी के लिए हिंदी में में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का प्रारंभ

हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष ने गैर-हिंदी भाषी लोगों के लिए छह महीने की अवधि के लिए हिंदी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रस्तुति दी है, जिसे अध्ययन बोर्ड और भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम को अगली बैठक में प्रस्तुत करने की शर्त पर सिफारिश की गई है।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालाँकि, पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले विभाग द्वारा विनियमों के अनुसार प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों परव्यवहार्यता भाग की जांच की जाएँ।

एसी 23.4.B3: हिंदी में बीए पाठ्यक्रम प्रारम्भ

हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष ने इस विषय को प्रस्तुत किया। पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्यविवरण पहले से ही यथावत है क्योंकि यह संबद्ध कॉलेजों में से कई में संचालित है।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने हिंदी में बीए (ऑनर्स) पाठ्यक्रम शुरू करने की मंज़ूरी दी।

एसी 23.4.B4: स्नातक पाठ्यक्रम में अनिवार्य फाउंडेशन पेपर में से एक के रूप में नेपाली का मसौदा पाठ्य-विवरण

नेपाली विभाग के विभागाध्यक्ष ने इस मद को प्रस्तुत किया। परिषद को सूचित किया गया कि पूर्व की बैठक में शैक्षणिक परिषद ने नेपाली को स्नातक पाठ्यक्रम में अनिवार्य फाउंडेशन पेपर में से एक के रूप में शामिल करने को मंज़ूरी दे दी और अध्ययन बोर्ड और विद्यापीठ बोर्ड के माध्यम से परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की सलाह दी।

कुलपति ने फ़ाउंडेशन पेपर के रूप में नेपाली के लिए मसौदा पाठ्य-विवरण तैयार करने के लिए अध्यक्ष, नेपाली विभाग की अध्यक्षता में सिक्किम सरकारी महाविद्यालय के तीन सदस्य और तीन आंतरिक सदस्यों को लेकर एक समिति का गठन किया।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद स्नातक पाठ्यक्रम में एक फाउंडेशन पेपर के रूप में नेपाली के पाठ्यक्रम को मंज़ूरी दी।

एसी 23.4.B5: सूक्ष्म जीव विज्ञान में एम.फिल पाठ्यक्रम के लिए संशोधित पाठ्य-विवरण

विभागाध्यक्ष, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग ने इस मद को प्रस्तुत किया। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद सूक्ष्म जीव विज्ञान में एम.फिल पाठ्यक्रम के संशोधित पाठ्यक्रम को मंज़ूरी दे दी।

एसी 23.4.B6: 2019-20 सत्र से उद्यानिकी में बी.एससी पाठ्यक्रम बंद करना

उद्यानिकी विभाग के विभागाध्यक्ष ने इस मद को प्रस्तुत किया। परिषद को निम्नानुसार सूचित किया गया था:

i) आईसीएआर ने कृषि और उद्यानिकी पाठ्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश और पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। आईसीएआर द्वारा निर्धारित संशोधित मानदंडों के अनुसार संशोधित पाठ्यक्रम में विषयों के लिए क्रेडिट आवंटन में बहुत अधिक बदलाव है।

ii) बी.एससी(बागवानी) की डिग्री प्रदान करने के लिए दो साल पहले ही सिक्किम में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत उद्यानिकी महाविद्यालय स्थापित की गई है, जो विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

iii) सिक्किम सरकार प्रत्येक वर्ष देश भर के आईसीएआर द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों में बी.एससी (उद्यानिकी) के लिए लगभग 5 छात्रों को भेजती है।

iv) आईसीएआर दिशानिर्देशों के अनुसार सभी विषयों को पढ़ाने के लिए संकाय की शक्ति पर्याप्त नहीं है।

v) व्यावहारिक और अनुभवात्मक अधिगम गतिविधियों के लिए प्रदर्शन और क्षेत्र गतिविधियों को करने के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा।

परिषद ने जीव विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की सिफारिशों पर भी गौर किया। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद सत्र 2019-20 से उद्यानिकी में बीएससी पाठ्यक्रम को बंद करने की मंज़ूरी दे दी।

एसी 23.4.B7: गणित विभाग में नए पेपर की शुरुआत

डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ ने गणित विभाग में एम.फिल/पीएचडी कोर्स वर्क और एम.एससी छात्रों के लिए निम्नानुसार नए पेपरों को प्रारम्भ करने के लिए इस मद को प्रस्तुत किया।

एम.फिल/पीएचडी कोर्स वर्क:

i) रैखिक बीजगणित II

ii) उन्नत कार्यात्मक विश्लेषण

iii) मैट्रिक्स संगणनाएँ

iv) मूल्य वितरण सिद्धांत

एम.एससी :

i) उन्नत जटिल विश्लेषण

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने गणित विभाग के ऊपर दिए गए नए पेपरों को शुरू करने को मंजूरी दी।

एसी 23.4.B8: बी.एड और एम.एड पाठ्य-विवरण का संशोधन

विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग ने इस मद को प्रस्तुत किया और परिषद को सूचित किया कि बीएड और एमएड के पाठ्यक्रम में कुछ मामूली बदलावों का सुझाव दिया गया है। परिषद को प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आदि जैसे वैकल्पिक पत्रों में संशोधन के बारे में सूचित किया गया ।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने बी.एड. और एम.एड. पाठ्यक्रम के संशोधनों को अनुमोदित किया।

एसी 23.4.B9: एमटीटीएम पाठ्य-विवरण में संशोधन

पर्यटन विभाग ने पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए एमटीटीएम पाठ्यक्रम और संरचना के संशोधन का प्रस्ताव किया है। व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड ने 23 मई 2018 को आयोजित अपनी बैठक में शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदन के लिए एमटीटीएम पाठ्यक्रम के संशोधन की सिफारिश की है। यह भी देखा जा रहा है कि वर्तमान में विभाग के पास अधिक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए पर्याप्त संकाय हैं।

परिषद को सूचित किया गया था कि पाठ्यक्रम में कुछ और क्रेडिट शुरू किए गए थे। 64 क्रेडिट के बजाय, पाठ्यक्रम को 96 क्रेडिट के लिए प्रस्तावित किया गया है। प्रति सेमेस्टर 4 पाठ्यक्रम थे जिन्हें प्रति सेमेस्टर में 6 पाठ्यक्रमों में बदल दिया गया है।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने एमटीटीएम पाठ्यक्रम के संशोधन को मंजूरी दी।

एसी 23.4.B10: सिक्किम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चिसोपानी, साउथ सिक्किम में 1 साल का बीटेक कोर्स के लिए सिलेबस

डॉ. मोहन प्रताप प्रधान, अध्यक्ष, कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग ने इस मद को प्रस्तुत किया क्योंकि वह पाठ्यक्रम मसौदा समिति के सदस्य थे।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद प्रथम वर्ष के बीटेक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के मसौदे को मंजूरी दी जो सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए सामान्य है।

ग. विविध विषय

एसी 23.4.C1: ***चीनी में एमए स्नातकों के परिसर साक्षात्कार का प्रस्ताव***

परिषद ने अपने छात्रों के प्लेसमेंट में चीनी विभाग के प्रयासों की सराहना की।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने सुझाव दिया कि प्रभारी, चीनी विभाग कैंपस प्लेसमेंट सेल से परामर्श करें, जो पहले से ही चीनी विभाग के छात्रों के प्लेसमेंट के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय में अस्तित्व में है।

एसी 23.4.C2: ***शोध पत्रिका "पूर्वोत्तर प्रभा" शुरू करने का***

हिंदी विभाग के अध्यक्ष ने इस मद को प्रस्तुत किया। परिषद ने एक पत्रिका शुरू करने के लिए हिंदी विभाग के प्रयास की सराहना की और विभाग को सलाह दी कि वह जर्नल और इसके लिए निधि निर्माण की स्थिरता के लिए काम करे। हिंदी विभाग के अध्यक्ष ने बताया कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आमतौर पर इस प्रकार की पत्रिकाओं के लिए अनुदान देता है और विभाग संस्थान को ऐसे अनुदान के लिए आवेदन करेगा। कुछ सदस्यों ने ई-पत्रिका शुरू करने और पत्रिका के प्रकाशन के लिए समय सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया। यह भी सुझाव दिया गया था कि मानक गुणवत्ता के लेख आदि प्राप्त करने के लिए मजबूत नेटवर्किंग होनी चाहिए।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद कुलपति ने प्रस्तावित पत्रिका के लिए स्थिरता, उपयोगकर्ताओं और योगदानकर्ताओं पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया।

एसी 23.4.C3: ***भौतिक विज्ञान विद्यापीठ के अंतर्गत एम.फिल शोध प्रबंध / पीएचडी शोध के प्रस्तुत करने की तिथि का विस्तार***

परिषद ने भौतिक विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड द्वारा एम.फिल शोध निबंध/ पीएचडी शोध प्रबंध के प्रस्तुतीकरण की तारीखों के विस्तार का उल्लेख किया।

एसी 23.4.C4: ***गणित विभाग में विभागीय पुस्तकालय स्थापित करना***

परिषद को बताया गया कि विश्वविद्यालय के पास संबंधित विभागों में भी विभागीय पुस्तकालय हैं। गणित विभाग भी एक विभागीय पुस्तकालय स्थापित कर सकता है।

एसी 23.4.C5: ***शैक्षणिक सत्र 2018-19 से एमएड कार्यक्रम के साथ एमए (शिक्षा) की निरंतरता***

परिषद को सूचित किया गया था कि एमए शिक्षा और एमएड दोनों के लिए चालू वर्ष में शिक्षा विभाग में प्रवेश की अनुमति दी गई है। परिषद को यह भी बताया गया कि एनसीटीई निरीक्षण दल, जिसने फरवरी 2017 में एम.एड के लिए विश्वविद्यालय का दौरा किया था, ने यदि 2018 से एम.एड की अनुमति दी जाती है तो शिक्षा विभाग को एमए शिक्षा कार्यक्रम को बंद करने की सलाह

दी और विश्वविद्यालय ने एक्ज़िट बैठक के दौरान प्रस्ताव के लिए सहमति दी थी। इसके अलावा, दोनों पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए स्थान और संकाय की आवश्यकता की कमी होगी।

परिषद ने अगले साल के लिए एमए (शिक्षा) के प्रवेश को स्थगित करने का फैसला किया।

एसी 23.4.C6: ***विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं उनके संतानों के लिए यूजी और पीजी कार्यक्रम में वार्ड कुलपति के विवेक के तहत एक अधिसंख्य सीट***

परिषद को सूचित किया गया कि यूजी और पीजी कार्यक्रम में प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों और उनके संतानों के लिए कुलपति के विवेकाधीन एक सीट का प्रावधान है, जो कुलपति के विवेकाधीन कोटे के अधीन है:

i) प्रवेश के लिए आवेदक को न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा करना होगा
ii) आवेदक के पास सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए या भौगोलिक / आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए।
iii) इस प्रावधान के तहत प्रत्येक विभाग में केवल एक उम्मीदवार को यूजी और पीजी के लिए माना जाएगा और स्थिति अलौकिक होगी।

परिषद को यह भी बताया गया कि केंद्रीय प्रवेश समिति ने 21 मार्च 2018 को आयोजित पहली बैठक में इस कोटे को बंद करने की सिफारिश की थी।

रिषद ने विचार-विमर्श के बाद कोटा को खत्म करने का फैसला किया। कुछ सदस्यों की पीएचडी में भी अधिसंख्य सीट को समाप्त करने की राय थी।

खंड 5

प्राधिकरणों/समितियों के कार्यवृत्त

एसी 23.5.1: ***दिनांक 14 मई 2018 को भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ बोर्ड की 9वीं बैठक का कार्यवृत्त***

नोट किया गया ।

एसी 23.5.2: ***दिनांक 16 मई 2018 को जीवन विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त***

नोट किया गया ।

एसी 23.5.3: ***दिनांक 21मई 2018 को भौतिक विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 9वीं बैठक का कार्यवृत्त***

नोट किया गया ।

एसी 23.5.4: दिनांक 23 मई 2018 को व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया ।

एसी 23.5.5: दिनांक 22 मई 2018 को सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 9वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया ।

एसी 23.5.6: दिनांक 25 मई 2018 को मानव विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 9वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया ।

एसी 23.5.7: ***दिनांक 12 अप्रैल 2018 को डीन समिति की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त***

नोट किया गया। परिषद ने विश्वविद्यालय के प्रकाशन और विश्वविद्यालय अनुसंधान निधि पुरस्कार के लिए मापदंड तय करने में विश्वविद्यालय की कार्रवाई की पुष्टि की।

एसी 23.5.8: ***दिनांक 28 मई 2018 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की बैठक का कार्यवृत्त***

परिषद ने 28 मई 2018 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 9 वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया और निम्नलिखित के लिए विशिष्ट अनुमोदन दिया:

i) शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए हर्कामाया में पीएचडी कार्यक्रम का नवीकरण नहीं किया गया है।
ii) सिक्किम सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय, गंगटोक, पूर्वी सिक्किम के अस्थायी संबद्धता के बारे में सीडीसी की सिफ़ारिशों को अनुमोदित किया गया।
iii) सरकारी फार्मेसी कॉलेज, सोजोंग, रुमटेक, पूर्वी सिक्किम के संबंध में सीडीसी की सिफ़ारिशों को अनुमोदित किया गया।
iv) शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए डंबर सिंह कॉलेज को अस्थायी संबद्धता के बारे में सीडीसी की सिफ़ारिशों को अनुमोदित किया गया।
v) यूजी कोर्स में अनिवार्य पेपर में से एक के रूप में आपदा प्रबंधन पर पाठ्यक्रम को मंज़ूरी दी।

खंड - 6

अध्यक्ष की ओर से विषय

अध्यक्ष की ओर से कोई मद नहीं था। जबकि, कुछ सदस्यों ने अनौपचारिक रूप से कुछ मुद्दों को उठाया:

i) बीए/बी.एससी/बी.कॉम पाठ्यक्रमों के संशोधित सिलेबसो का कार्यान्वयन। अध्यक्ष ने बताया कि बीए/बी.एससी/बी.कॉम के लिए संशोधित पाठ्यक्रम को लागू करने के बारे में कुछ मुद्दे राज्य सरकार द्वारा थे, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सका।

ii) कुछ शोध परियोजनाओं के प्रधान अन्वेषकों ने 5 से 6 दिनों की छुट्टी देने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने बताया कि परियोजना अन्वेषक इस तरह से अध्ययन की योजना बनाएँ, ताकि वह अपने सामान्य शैक्षणिक कार्यों के साथ एक साथ न हों।

iii) कुछ अन्य मुद्दे जैसे ग्रहणाधिकार प्रदान, ग्रहणाधिकार के दौरान पीएचडी के पर्यवेक्षक और पीएचडी के लिए विनियम से संबन्धित मामले भी उठाए गए।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(टी.के.कौल)	**(प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग)**
कुलसचिव एवं सचिव	**कुलपति (कार्यवाहक) एवं अध्यक्ष**
शैक्षणिक परिषद	**शैक्षणिक परिषद**